न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी–श्री चावण्डदान चारण (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या – डिक्री 42 सन् 2018
पंजीयन दिनांक 28.02.2018

1. शंकरलाल पिता मनजी जाति भील निवासी बोरी तहसील पीपलखुंट जिला प्रतापगढ़

–अपीलांट

विरूद्व

1. पिरकी पिता मांगू जाति भील निवासी केलामेला तहसील पीपलखुंट जिला प्रतापगढ़
2. सीता पत्नि कैलाश जाति भील निवासी केलामेला तहसील पीपलखुंट जिला प्रतापगढ़
3. गेबा पिता मांगू जाति भील निवासी केलामेला तहसील पीपलखुंट जिला प्रतापगढ़
4. केसर पत्नि गेबा जाति भील निवासी केलामेला तहसील पीपलखुंट जिला प्रतापगढ़
5. सोहन पिता मांगू जाति भील निवासी केलामेला तहसील पीपलखुंट जिला प्रतापगढ़
6. इलास पिता मांगू जाति भील निवासी केलामेला तहसील पीपलखुंट जिला प्रतापगढ़
7. सरकार जरिये तहसीलदार पीपलखुंट तहसील पीपलखुंट जिला प्रतापगढ़

–रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व
निर्णय एवं आदेश न्यायालय
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पीपलखुंट
बमिसल क्रमांक 39/2014 निर्णय एंव आदेश दिनांक 15.02.2018

उपस्थित– 1. छोगालाल जाट–अधिवक्ता अपीलान्ट
2. रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 6 बावजूद सूचना अनुपस्थित
3. पूरणमल स्वर्णकार–राजकीय अभिभाषक–रेस्पो.सं. 7

निर्णय **दिनांक 01.02.2022**

प्रकरण के संक्षित तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलान्ट वादी ने वादपत्र घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा केलामेला पटवार हल्का केलामेला तहसील पीपलखुंट जिला प्रतापगढ़ की आराजी नम्बर 840 रकबा 0.48 हैक्टेयर भूमि दर्ज रिकार्ड है। उक्त आराजीयात रेस्पोडेन्टगण ने दिनांक 06.07.2000 को 11,000/– रू. मे अपीलान्ट वादी को विक्रय की व विक्रय पत्र मे कब्जा दिया गया। अपीलान्ट वादी खरीद दिनांक से खरीदशुदा कृषि आराजीयात पर कब्जा कर बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कर काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है जिससे अपीलान्ट वादी खरीदशुदा आराजीयात की घोषणा कराये जाने का अधिकारी है।

उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ न्यायालय मे दिनांक 18.06.2014 को प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 19.06.2014 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण के सम्मन नोटिस जारी किये गये जिस पर उक्त पत्रावली मे रेस्पोडेन्टगण की ओर से जवाब प्रस्तुत नही कर प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 प्रस्तुत किया गया। जिस पर अपीलान्ट वादी ने आदेश 7 नियम 11 जा0 दी0 का जवाब प्रस्तुत किया गया व तत्पश्चात् उक्त प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी जाकर प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0 दी0 स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट वादी का वादपत्र निरस्त किये जाने का निर्णय व आदेश पारित कर दिया।

अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 15.02.2018 से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट वादी ने इस न्यायालय मे प्रथम अपील प्रस्तुत की। जो इस न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 6 बावजूद सूचना अनुपस्थित। रेस्पोडेन्ट सं. 7 जरिये अधिवक्ता उपस्थित। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस मे अपील मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि अपीलान्ट वादी ने रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज मौजा केलामेला तहसील पीपलखुंट की आराजी नम्बर 840 रकबा 0.48 हैक्टेयर जो रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण के पिता मांगू पिता कानिया के खातेदारी मे दर्ज थी। दिनांक 06.07.2000 को प्रतिफल राशि 11,000/– रू0 मे खातेदार मांगू पिता कानिया से उक्त आराजीयात मे से 40x40 वर्ग फीट का कृषि भू–खण्ड अपीलान्ट वादी को विक्रय कर कब्जा सुपुर्द कर दिया। तभी से अपीलान्ट वादी खरीदशुदा कृषि भू–खण्ड पर काबिज होकर उपयोग व उपभोग करता चला आ रहा है। अपीलान्ट वादी अपनी खरीदशुदा आराजीयात की खातेदारी घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी था। फिर भी अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने यह मानते हुए कि विवादित कृषि भूमि है या आबादी भूमि मानते हुए वादी अपीलान्ट ने अपनी खरीदशुदा आराजीयात के सम्बन्ध मे जमाबन्दी की नकल प्रस्तुत कर साबित किया है कि विवादित भूमि कृषि भूमि है। कृषि भूमि के सम्बन्ध मे वादपत्र सुनने का अधिकार अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय को प्राप्त है। फिर भी अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने मनमकसुद तरीके से रिकार्ड के विपरीत आबादी भूमि होना मानते हुए वादपत्र को निरस्त किये जाने का निर्णय पारित किया है। जिससे असंतुष्ट होकर अपीलान्ट की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है। जो स्वीकार योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 7 ने अपनी बहस मे यह आपत्ति अंकित की है अधीनस्थ न्यायालय मे बिकावनामा 50/– रू. के स्टाम्प पर है जो पंजीकृत नही है। जिसके आधार अपीलान्ट वादी का वादपत्र स्वीकार योग्य नही होने से विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट वादी का वादपत्र निरस्त किये जाने मे किसी प्रकार की कोई

अवैधानिकता या अनियमितता नही की है। अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होकर खारीज फरमाई जावे।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की विधिपूर्ण बहस पर मनन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 6 की ओर से पत्रावली जवाबदावा हेतु नियत थी जिसमे रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा नही दिया जाकर आदेश 7 नियम 11 का प्रार्थना पत्र दिनांक 18.12.2017 को प्रस्तुत किया गया जिस पर अपीलान्ट वादी ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया व उक्त प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने यह मानते हुए कि विवादित भूमि कृषि भूमि है या आबादी भूमि जिससे वादपत्र का श्रवणाधिकार विचारण न्यायालय को प्राप्त नही होने से अपीलान्ट वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र खारीज किये जाने योग्य है जिससे प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0 दी0 स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट वादी का वादपत्र निरस्त किया गया है। पत्रावली जवाबदावे हेतु नियत थी। रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण यह तथ्य अपने जवाबदावे मे उठा सकते थे फिर भी जवाबदावा प्रस्तुत नही किया जाकर प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0 दी0 प्रस्तुत किया गया व अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने प्रकरण मे प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाकर वादपत्र निरस्त किये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया है जो सिविल प्रक्रिया संहिता के वैधानिक प्रावधानो के विपरीत होकर संहवनीय नही होने से अपीलान्ट वादी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 15.02.2018 निरस्त किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलान्ट वादी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपलखुंट प्रकरण संख्या 39/2014 निर्णय व आदेश दिनांक 15.02.2018 निरस्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशो के साथ अधीनस्थ विद्धवान न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण का जवाबदावा लिया जाकर उक्त प्रकरण मे दावा जवाबदावा के अनुसार तनकियात कायम की जाकर आदेश 20 नियम 5 जा0दी0 की पालना मे तनकीवार गुणावगुण पर अजरसे नव निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 01.02.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लोटायी जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

(चावण्डदान चारण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौडगढ